भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 164140

04 AUG 2023

NOTARY R.K. VERMA Lko Hd. Office 31/(G)/2000 GOVT. OF INDIA

(प्रारूप–अ)

हम श्रीमती लज्जा चतुर्वेदी अध्यक्ष, तिरूपती चैरिटेबल ट्रस्ट, पता जी 9 सेक्टर 41 नोयडा, (उ0प्र0) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करती हूँ कि:–

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा आर.पी. कालेज ऑफ फार्मेसी, पता बनी कोडर भिटरिया राम सनेही घाट बाराबंकी (उ0प्र0) नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम तिरूपती चैरिटेबल ट्रस्ट, पता जी 9 सेक्टर 41 नोयडा, (उ0प्र0) में गाटा सं0 289 व 286 कुल रकबा 0.861 हे0 भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 289 व 286 कुल कुल रकबा 0.861 हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01 जुलाई 2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही उपरोक्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के सचांलन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एंव उस पर निर्मित एंव निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

SIGNED & VERIFIED BEFORE ME R.K. VERMA ADVOCATE & NOTARY Regd. No. 31(G) 2000 Lucknow (U.P.)

लज्जा चतुर्वेदी

7. यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही सचांलन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एंव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का भविष्य में न ही किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के सचांलन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एंव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के सचांलन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशों का भलीभातिं पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एंव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।
13. मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊंगी।

NOTARY R.K. VERMA Lko Hd. Office 31(52) 2000 GOVT. OF INDIA

VERIFIED BY ME R.K. VERMA ADVOCATE & NOTARY Reg. No. 31(52) 2000 Lucknow (U.P.)

लज्जा चतुर्वेदी

ह0 अध्यक्ष